उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024

लखनऊ : दिनाँक : 16 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 के प्रस्तर-9 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है -

"समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय । वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जायं ।"

2- यह देखने में आया है कि उक्त प्रस्तर में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन नहीं हो रहा है एवं प्रशासकीय विभागों द्वारा उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गये कुल व्यय का लगभग 70 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में किया जाता है । इससे राज्य के कैश प्रबन्धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है ।

3- इसी क्रम में कई प्रशासकीय विभागों द्वारा नये निर्माण कार्यों की प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में जारी किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । इससे यह विदित होता है कि व्यय हेतु प्लानिंग का अभाव है एवं मात्र व्यय के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यय के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । यह स्थिति कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 04 मार्च, 2024 की भावना के अनुरूप नहीं हैं ।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में नये निर्माण कार्यों हेतु प्रथम किश्त निर्गत किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थिति से विचलन होने की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा वित्त मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी ।

उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 5/2024/बी-1-642(1)/दस-2024-231/2024, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।